विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा० सदस्य, विधान परिषदद्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-03 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेगें कि प्रदेश में कक्षा 1से 8 तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकेंप्रदान किये जाने की व्यवस्था है ?	जी हाँ। प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों,राजकीयविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त प्राप्त मदरसों में अध्यनरत कक्षा-1 से 8 तक के समस्त बालकों एवं बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
(ख) यदि हों, तो जिला मुख्यालयों पर उक्त पाठ्य पुस्तकें कब पहुंचाई गई तथा विद्यालयों से कब तक वितरण करा दिये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं?	शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु कक्षा 03 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकें को अनुबन्ध की तिथि दिनांक 10.01.2024 से 90 दिन के अन्दर आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये गये थे। कक्षा 1 व 2 पाठ्य पुस्तकों को अनुबन्ध की तिथि दिनांक 28.05.2024 से 45 दिन के अन्दर आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये गये थे। निर्धारित तिथि से बिलम्ब से आपूर्ति किये जाने पर कटौती के प्राविधान हैं। विद्यालयों से वितरण के सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी, परन्तु शासन के निर्देशों के अनुपालन में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से करने तथा जनपद स्तर, ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर तथा विद्यालय स्तर पर, किसी प्रकार का विलम्ब न करने, सत्यापन एवं ढुलाई की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब कदापि न करने हेतु निर्देश दिये गये थे, ताकि जनपद स्तर आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्रताशीघ्र विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें वितरित करायी जा सके।
(ग) क्या उक्त निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हों। जनपदों को प्रेषित निर्देशों की प्रति संलग्न है।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
बेसिक शिक्षा।

ई–मेल द्वारा
महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: बी/ 630 - 975 **/2024–25** **दिनांक:** 28-5-2024

विषय: शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए कक्षा–1 व 2 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन आपूर्ति एवं निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

ज्ञातव्य है कि कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की योजना पूर्व से संचालित है। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक–बी/7108–7458/2023–24 दिनांक–10.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए कक्षा–3 से 8 तक की निःशुल्क राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के मुद्रण/प्रकाशन, एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन आपूर्ति एवं निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये थे।

तत्क्रम में शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए कक्षा–1 व 2 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के मुद्रण/प्रकाशन के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–37/अड़सठ–3–2024 दिनांक–12 जनवरी, 2024 एवं शासनादेश संख्या–49/अड़सठ–3–2024–1168/2019 दिनांक–24 जनवरी, 2024 द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। **(संलग्नक–1)**

राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–01/सामु0सह0–नि0पा0पु0–स0शि0/1485/2018–19, दिनांक–28 जून, 2018 **(संलग्नक–2)** में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:–

1. प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं हेतु समग्र शिक्षा अभियान द्वारा व्यय वहन करने का प्रावधान किया है।
2. फलस्वरूप निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी तरह की धनराशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. उपर्युक्त के क्रम में प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा–1 व 2 के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को समग्र शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत निःशुल्क राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु क्रयादेश, आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं भण्डारण, सत्यापन, वितरण, भुगतान एवं कटौती आदि के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करें :–

(क) क्रयादेश जारी करने हेतु निर्देशः–

(1) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 शैक्षिक सत्र 2024–25 में कक्षा–1 व 2 हेतु अनुबंधित मुद्रकों को **दिनांक–31 मई, 2024 तक** प्रत्येक दशा में कक्षा–1 व 2 की हिन्दी माध्यम/उर्दू माध्यम/अंग्रेजी माध्यम की समस्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं **(जिस मुद्रक द्वारा कक्षा–1 व 2 की हिन्दी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति की जायेगी, उसी मुद्रक द्वारा उर्दू व अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति भी की जायेगी।)** के क्रयादेश आवश्यकतानुसार सटीक रूप से निम्नवत् प्रोफार्मा पर जारी करना सुनिश्चित करें :–

शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु कक्षा–1 व 2 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के क्रयादेश का प्रोफार्मा (क्रयादेशित पुस्तकों की संख्याओं का योग अनिवार्य रूप से किया जायेगा)							
क्र0 सं0	**पुस्तक का नाम व वर्ग**	**अन्तः पृष्ठ संख्या**	**मूल्य**	**क्रयादेशित पुस्तकों की संख्या**	**धनराशि**	**7.5 प्रतिशत डिस्काउण्ट की राशि**	**सकल धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Class-1							
1	सारंगी–1	132	38.97				
2	आनंदमय गणित–1	144	42.22				
3	Mridang-1	136	40.05				
4	कार्यपुस्तिका सारंगी–1	108	32.46				
5	कार्यपुस्तिका आनंदमय गणित–1	108	32.46				
6	Workbook Mridang-1	40	14.01				
7	शहनाई–1 (उर्दू)	116	34.63				
8	आनंदमय रियाजी–1	144	42.22				
9	Joyful Mathematics-1	144	42.22				
10	Workbook Joyful Mathematics-1	108	32.46				
	योग						
Class-2							
11	सारंगी–2	152	44.39				
12	आनंदमय गणित–2	152	44.39				
13	Mridang-2	124	36.80				

14	कार्यपुस्तिका सारंगी–2	148	43.31					
15	कार्यपुस्तिका आनंदमय गणित–2	132	38.97					
16	Workbook Mridang-2	40	14.01					
17	शहनाई–2 (उर्दू)	120	35.71					
18	आनंदमय रियाजी–2	152	44.39					
19	Joyful Mathematics-2	152	44.39					
20	Workbook Joyful Mathematics-2	132	38.97					
	योग							

अनुबंधित मुद्रकों को आवंटित जनपदों का विवरण संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

(2) सम्बन्धित मुद्रकों को संलग्न सूची **(संलग्नक–4)** के अनुसार उनकी **ई–मेल आई0डी0 एवं स्पीड पोस्ट द्वारा निर्देशित पते पर क्रयादेश प्रेषित करें** तथा उसे प्रेरणा पोर्टल के ''पाठ्य पुस्तक आपूर्ति एवं वितरण मॉड्यूल'' पर अनिवार्यतः अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही, उसकी एक प्रति प्रत्येक दशा में उसी तिथि को राज्य परियोजना कार्यालय के ई–मेल आई0डी0 upefaspo@gmail.com तथा पाठ्य पुस्तक अधिकारी कार्यालय की ई–मेल आई0डी0 uptextbook@gmail.com पर उपलब्ध करायें। इसमें विलम्ब की दशा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3) कक्षा–1 व 2 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के क्रयादेश जारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि आप द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दिनांक–05.10.2023 तक अपलोड की गयी छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के मुद्रण/प्रकाशन की ई–निविदा आमंत्रित की गयी थी। वर्तमान में छात्र–छात्राओं की वास्तविक संख्या, जो प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत है, के आधार पर क्रयादेश निर्गत किये जायें। यदि किसी जनपद द्वारा वास्तविक छात्र संख्या से अधिक क्रयादेश जारी किया जाता है, तो इस विसंगति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(4) <u>पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की प्राप्ति के लिए आप द्वारा भण्डार प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित सहायक का नाम, मोबाइल नम्बर एवं भण्डारण स्थल के सम्बन्ध में क्रयादेश में अनिवार्य रूप से स्पष्ट उल्लेख किया जाये।</u>

(5) उपरोक्त सारिणी के अनुसार कक्षा–1 व 2 की हिन्दी माध्यम, उर्दू माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की समस्त पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं हेतु क्रयादेश एक साथ निर्गत किये जायें। चूंकि प्रथम बार प्रदेश में NCERT पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों का मुद्रण कराया जा रहा है। अतएव क्रयादेश जारी करते समय छात्र संख्या व क्रयादेशित पुस्तकों की संख्या का विशेष ध्यान रखा जाये, जिससे आवश्यकतानुरूप ही पुस्तकों का मुद्रण कराया जाये।

(6) हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों के कक्षावार 1–1 सेट उपलब्ध कराये जाने हेतु अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों को क्रयादेश में सम्मिलित किया जाये।

(7) उपर्युक्त पुस्तकों की 10–10 प्रतियाँ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालयों में रखने हेतु क्रय किया जाना है। अतः क्रयादेश निर्गत करते समय उक्त पाठ्य पुस्तकों की

10–10 प्रतियाँ को सम्मिलित करते हुए जनपद में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालयों हेतु क्रय की जायें।

(8) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें क्रय की जायेंगी। इसी प्रकार उर्दू माध्यम के विद्यालयों के लिए हिन्दी भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू माध्यम की पाठ्य पुस्तकें क्रय की जायेंगी। किसी भी दशा में पाठ्य पुस्तकों के क्रय करने में पुनरावृत्ति न हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(9) त्रुटिपूर्ण क्रयादेश के माध्यम से राजकोष का दुरूपयोग होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(10) उक्त निर्देशों का उद्देश्य यह है कि समस्त विद्यार्थियों को समस्त पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें उपलब्ध करायी जायें, किन्तु जनपद द्वारा अनावश्यक रूप से अधिक पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें न क्रय की जायें।

(ख) पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति

(1) आपूर्ति प्राप्त करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक नोडल अधिकारी (बी0ई0ओ0 मुख्यालय अथवा कोई डी0सी0) नामित किया जाये और इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश मोबाईल नं0 व ई–मेल सहित जारी किया जाये। नोडल अधिकारी समयबद्ध पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति एवं नमूने की पुस्तकों की प्राप्ति के लिए मुद्रकों/प्रकाशकों तथा रिलीज कमेटी से दूरभाष एवं पत्राचार द्वारा नियमित सम्पर्क रखेंगे तथा किसी प्रकार की बाधा की स्थिति में पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0 से सम्पर्क करके बाधाओं का निराकरण करायेंगे।

(2) मुद्रकों के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार जनपदों द्वारा क्रयादेश निर्गत करने की अंतिम तिथि दिनांक–31.05.2024 तथा सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकों की जनपदों में आपूर्ति की समयसीमा दिनांक–28.05.2024 से 45 दिन व कार्यपुस्तिकाओं हेतु दिनांक–28.05.2024 से 60 दिन निर्धारित है। उक्त तिथियों तक आपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि क्रयादेश जनपद स्तर से अविलम्ब जारी किये जायें। विलम्ब से क्रयादेश निर्गमन के कारण पाठ्य पुस्तकों/ कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति में होने वाले विलम्ब के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(ग) पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं भण्डारण हेतु निर्देशः–

(1) जनपद स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की प्राप्ति, भण्डारण तथा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए निम्नवत् जनपद स्तरीय समिति गठित की जाये और इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करते हुए उन्हें उत्तरदायी बनाया जायेः–

1. जनपद मुख्यालय स्थित खण्ड शिक्षा अधिकारी,

2. जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान,

3. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी,

4. संबंधित सहायक।

(2) उक्त समिति मुद्रकों द्वारा भेजी गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति प्राप्त करते समय इस बात का स्पष्ट रूप से ध्यान रखेगी कि मुद्रक द्वारा भेजी गयी इनवॉइस में अंकित संख्या के अनुसार उनके द्वारा पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें वास्तविक रूप में प्राप्त की गयी हैं। इनवॉइस में अंकित की गयी पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की संख्या से कम संख्या में प्राप्ति कदापि स्वीकार न की जाये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं भी इसका अनुश्रवण करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर चेकिंग करेगें।

(3) सम्बन्धित मुद्रक का यह विधिक दायित्व होगा कि उनके द्वारा इनवॉइस में जिस कक्षा की जितनी पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें अंकित की जा रही हैं, प्रत्येक दशा में भौतिक रूप से उतनी पुस्तकें उनके द्वारा इनवॉइस के साथ अनिवार्य रूप में भेजी जायें। यदि उक्त समिति द्वारा यह पाया जाता है कि इनवॉइस में अंकित संख्या के सापेक्ष मुद्रक द्वारा कम संख्या में पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें भेजी गयी हैं, तो इस तथ्य को पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को औपचारिक व स्पष्ट रूप से सूचित किया जाये, ताकि संबंधित मुद्रक के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

(4) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इनवॉइस में दी गयी पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की संख्या के अनुसार पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति स्वीकार की गयी है अथवा नहीं, इसकी चेकिंग हेतु मुख्यालय स्तर से अधिकारी जनपदों में भेजे जायेंगे और यदि प्राप्त की गयी पुस्तकों की संख्या इनवॉइस में अंकित संख्या से कम पाई जाती है तो इसे कदाशयता मानते हुए अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(5) विकास खण्ड स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के भण्डारण तथा अभिलेखीय रखरखाव के लिए संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये तथा इस हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किये जायें। **विद्यालय स्तर** पर प्रधानाध्यापक को पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की मांग पंजिका तथा भण्डार पंजिका एवं वितरण पंजिका आदि अभिलेखों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी बनाया जाये।

(6) पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की मांग, वास्तविक वितरण एवं उसके पश्चात अवशेष बची पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की विकास खण्डवार सूचना अभिलेखित कर जनपद स्तर पर रखी जाये और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं उसका अवलोकन किया जाये।

(7) विकास खण्ड स्तर पर पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की मांग, वितरण, अवशेष पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की विद्यालयवार सूची रखी जाये। वितरण के पश्चात अवशेष पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं को ब्लाक संसाधन केन्द्र में खण्ड शिक्षा अधिकारी की कस्टडी में सुरक्षित रूप से भण्डारित किया जाये। विद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की मांग, प्राप्ति एवं वापसी की संख्या तथा वितरित पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की छात्रवार प्रविष्टियां पंजिका में अंकित किया जायें।

(8) पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के भण्डारण हेतु बरसात का मौसम होने के दृष्टिगत स्थल का चयन सावधानी पूर्वक किया जाये। यह ध्यान रखा जाये कि भण्डारण स्थल तक आवागमन की उचित सुविधा हो, पानी भरने अथवा टपकने अथवा सीलन की स्थिति कदापि न हो, ताकि पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें सुरक्षित रूप से रखी जा सकें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपूर्ति प्रारम्भ होने के पूर्व ही भण्डारण स्थल को स्वंय मौके पर जाकर देख लें, ताकि बाद में अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर भी भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(9) यदि कोई मुद्रक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का मुद्रण किसी अन्य मुद्रक से कराता है, तो उस अन्य मुद्रक से होने वाली मुद्रण सम्बन्धी किसी भी प्रकार की त्रुटि/अधोमानक छपाई/अधोमानक आकर व बाइंडिंग इत्यादि के लिये विभाग से अनुबंधित मुख्य मुद्रक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(10) जनपदों द्वारा संबंधित मुद्रकों को निर्गत किये जाने वाले क्रयादेशों, आपूर्ति की प्राप्ति/वितरण इत्यादि को वेब/एप्लीकेशन अर्थात प्रेरणा पोर्टल पर नियमित व अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

(11) जिला कार्यालयों/गोदाम में पुस्तकों की लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था मुद्रक द्वारा की जाएगी, जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) पाठ्य पुस्तकों के सत्यापन हेतु निर्देशः-

(1) आपूर्तित समस्त पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का सत्यापन प्रत्येक दशा में पाठ्य पुस्तकों की जनपद स्तर पर प्राप्ति के **तीन दिन के अन्दर पूर्ण** करते हुए विकास खण्ड स्तर पर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(2) पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति के उपरान्त सत्यापन हेतु क्रयादेश निर्गत करते ही समिति का गठन कर लिया जाये। पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के प्राप्त होते ही सत्यापन समिति निर्धारित तिथि के अन्दर सत्यापन सुनिश्चित करेगी। निर्धारित समयावधि में सत्यापन न करने के कारण पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के वितरण में विलम्ब होने पर जनपदीय समिति के सदस्य उत्तरदायी होंगे। सत्यापन के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित विद्यालयों में अविलम्ब प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का मिलान नमूने की पाठ्य पुस्तकों से किया जाये। नमूने की पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें आपूर्तिकर्ता मुद्रक के जनपद से सम्बन्धित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं संबंधित मुद्रक/प्रकाशक द्वारा स्वप्रमाणित होगी।

(4) निःशुल्क वितरण हेतु प्रत्येक पुस्तक/कार्यपुस्तिका के आवरण के मुखपृष्ठ पर स्पष्ट पठनीय **"निःशुल्क वितरण हेतु"** एवं **शैक्षिक-सत्र के वर्ष** का उल्लेख तथा आवरण के पृष्ठ

भाग अर्थात अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशन वर्ष, मुद्रक का नाम, मुद्रक के जनपद का नाम तथा आवरण पृष्ठ के कागज की विशिष्टियाँ अंकित होना चेक कर लिया जाये।

(5) आपूर्तित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं में मूल्य अंकित नहीं होगा। इन पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के अन्तःपृष्ठ एवं आवरणपृष्ठ पर मुद्रण वर्ष 2024–25 अंकित होगा। आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के आकार, मुद्रण एवं कागज की विशिष्टियां द्वितीय अंतःपृष्ठ एवं आवरण पृष्ठ के अंतिम भाग में अंकित होगी।

(6) प्रत्येक पुस्तक के आवरणपृष्ठ में प्रथम मुख पृष्ठ एवं चौथे पृष्ठ पर तथा पुस्तक के अन्दर प्रथम अन्तःपृष्ठ पर नीले बाक्स में लाल इंक से 20 प्वाइंट बोल्ड टाइप में **"निःशुल्क वितरण हेतु"** अवश्य मुद्रित होगा।

(ड.) पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु निर्देशः–

शासन के निर्देशानुपालन में विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को पाठ्यपुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का वितरण समयबद्ध रूप से अनिवार्यतः प्रारम्भ करा दिया जाये।

(1) विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का वितरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, समयबद्ध रूप से कराने की व्यवस्था की जाये। जनपद स्तर, ब्लाक स्तर न्याय पंचायत स्तर तथा विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय। सत्यापन एवं ढुलाई की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब कदापि न किया जाये, ताकि जनपद स्तर पर आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जा सकें। सभी संबंधित अधिकारी इस संबंध में सचेष्ट रहें।

(2) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की प्रगति से कार्यालय पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ को नियमित रूप से अवगत कराया जाये।

(3) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का वितरण वास्तविक नामांकन के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए विद्यालय का प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होगा।

(4) यदि किसी विद्यालय में आपूर्तित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं से कम संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन होता है तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बची हुई पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें अविलम्ब अपनी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर जमा कर दी जायेंगी।

(5) इसी प्रकार यदि किसी विद्यालय में आपूर्तित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं से अधिक संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन होता है, तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से बढ़ी हुई संख्या के अनुसार, पाठ्य पुस्तकें अविलम्ब प्राप्त करके विद्यार्थियों को वितरित की जायेंगी।

(6) समस्त न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक इस प्रकार समायोजित पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का लेखा–जोखा और बची हुई पाठ्य पुस्तकें/कार्यपुस्तिकायें ब्लाक संसाधन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

नोट– पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति व वितरण के अनुश्रवण हेतु **प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल** विकसित किया गया है, जिस पर जनपद द्वारा सम्बन्धित मुद्रकों को निर्गत किये जाने वाले क्रयादेश अपलोड किये जायेंगे। मुद्रकों द्वारा जनपदों से प्राप्त क्रयादेश के सापेक्ष डिस्पैच की जाने वाली पुस्तकों की संख्या को अपलोड किया जायेगा। मुद्रकों के डिस्पैच के सापेक्ष जनपद द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या को अपलोड किया जायेगा। जनपद (मुख्यालय) द्वारा विकास खण्डों को प्रेषित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या को तथा विकास खण्डों द्वारा मुख्यालय से प्राप्त पुस्तकों की संख्या को अपलोड किया जायेगा। विकास खण्ड द्वारा विद्यालयों को प्रेषित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या को तथा विद्यालयों द्वारा विकास खण्ड से प्राप्त पुस्तकों की संख्या को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। विद्यालयों द्वारा विकास खण्ड से प्राप्त पुस्तकों को बच्चों को वितरित किये जाने की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(च) पाठ्य पुस्तकों के भुगतान/कटौती हेतु निर्देशः–

(1) हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के भुगतान एक साथ किए जायेंगे।

(2) समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत क्रय की गयी पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के भुगतान हेतु एक ही बिल प्राप्त किये जायें एवं तद्नुसार धनराशि की मांग राज्य परियोजना कार्यालय से की जाये।

(3) भुगतान की समस्त कार्यवाही राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ से प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ही की जाये।

(4) मुद्रकों को उनके द्वारा आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का भुगतान एवं कटौती के सम्बन्ध में कार्यवाही शासनादेश संख्या–49/अड़सठ –3–2024–1168/2019 दिनांक– 24 जनवरी, 2024 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जाये।

(5) कक्षा–1 व 2 की आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं से सम्बन्धित बिल अधिसूचित मूल्य दर पर 7.5 प्रतिशत (साढ़े सात प्रतिशत) डिस्काउन्ट के आधार पर आगणित होगा। 7.5 प्रतिशत डिस्काउन्ट कम करके धनराशि का भुगतान किया जायेगा। भुगतान से पूर्व नियमानुसार आयकर की कटौती भी की जाये और अनिवार्य रूप से टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराये जायें।

(छ) लाभार्थियों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना का प्रचार–प्रसारः–

(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रचार–प्रसार के माध्यमों, यथा–प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आई0ई0सी0 सामग्री आदि के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की योजना और वितरण की समय–सारणी से समस्त लाभार्थी वर्ग एवं जन सामान्य को अवगत करायेंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बाजार से क्रय करने हेतु बाध्य न हो।

(2) खण्ड शिक्षा अधिकारी भी अपने विकासखण्ड/नगर क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की समय–सारणी से विद्यालय प्रबंध समिति/ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड शिक्षा

समिति एवं समस्त लाभार्थी वर्ग को यह अवगत करायेंगे कि सभी परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों/मदरसों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी, ताकि कोई भी विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकें बाजार से क्रय करने हेतु बाध्य न हो।

(ज) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु परिवहन व्यवस्था

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की ढुलाई विद्यालय स्तर तक करायी जायेगी तथा ढुलाई पर होने वाले व्यय का वहन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मद में बची हुई धनराशि से किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकों की जिला स्तर से विद्यालय तक ढुलाई की दरें विगत सत्र की भांति निम्न समिति द्वारा अनुमोदित की जायेंगीः–

✓जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
✓मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
✓क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
✓जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अन्य सदस्य	–	सदस्य
✓सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा	–	सदस्य
✓जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कक्षा–1 व 2 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति एवं वितरण की कार्यवाही निर्धारित की गयी समयसारणी के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यक्रम समयबद्ध है, अतः कृपया विषय को वरीयता प्रदान करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक,स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृं0सं0 बी/630-975 /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा के संज्ञानार्थ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि कृपया जनपदीय अधिकारियों को अपने स्तर से भी निर्देश देने का कष्ट करें।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं हेतु जनपदों से क्रयादेश

निर्गत कराने एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण एवं ढुलाई हेतु अपने स्तर से भी निर्देश प्रसारित कराने का कष्ट करें।

5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को छात्र–छात्राओं की संख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
8. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
9. संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि तक क्रयादेश निर्गत कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें। शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्वयं भी कार्यवाही करें।
12. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्रयादेश निर्गमन से पूर्व अर्ह छात्र–छात्राओं की संख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. समस्त अनुबंधित मुद्रकों (संलग्नक–4) को इस आशय से प्रेषित कि आवंटित जनपदों से शीघ्रातिशीघ्र क्रयादेश प्राप्त करते हुए समयान्तर्गत मुद्रण एवं आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही पत्र में आपूर्ति वितरण के सम्बन्ध में दिये गये प्रेरणा–पोर्टल सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही ससमय सम्पादित करायें।

(माधव जी तिवारी)
पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ०प्र०,
बेसिक शिक्षा निदेशालय,
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226007
ई-मेल :- uptextbook@gmail.com सं० 220/68.03.2025 दूरभाष :- 0522-2782728

E-1900033
फा०सं० - 68-3099/46/2025

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः बी/ 6187 - 88 **/2024-25 दिनांक-** 13/02/2025

विषयः श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुकवार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के पत्रांकः 20/वि0प0-प्रश्न/2025 दिनांकः 10.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुकवार के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुकवार के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीय,

(माधव जी तिवारी)
पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0-बी/ 6187 - 88 **/2024-25 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

परीक्षण कर प्रस्तुत करें
श्रीमती ममता
14/02/2025

Jay Prakash(RR)

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या–3 के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुकवार के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान किये जाने की व्यवस्था है?	जी हाँ, प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा–1 से 8 तक के समस्त बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
(ख) यदि हाँ, तो जिला मुख्यालयों पर उक्त पाठ्य पुस्तकें कब पहुंचाई गई तथा विद्यालयों से कब तक वितरण करा दिये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं?	शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु कक्षा 3 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों को अनुबंध की तिथि दिनांकः 10.01.2024 से 90 दिन के अन्दर आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये गये थे। कक्षा 1 व 2 की पाठ्य पुस्तकों को अनुबंध की तिथि दिनांकः 28.05.2024 से 45 दिन के अन्दर आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये गये थे। निर्धारित तिथि से विलम्ब से आपूर्ति किये जाने पर कटौती के प्राविधान हैं। विद्यालयों से वितरण के सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी, परन्तु शासन के निर्देशानुपालन में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, समयबद्ध रूप से करने तथा जनपद स्तर, ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर तथा विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का विलम्ब न करने, सत्यापन एवं ढुलाई की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब कदापि न करने हेतु निर्देश दिये गये थे, ताकि जनपद स्तर पर आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात शीघ्रताशीघ्र विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों वितरित करायी जा सकें।
(ग) क्या उक्त निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ। जनपदों को प्रेषित निर्देशों की प्रति संलग्न है।

Jay Prakash(RR)

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या–3 के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुकवार के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या–3 के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुकवार के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा–1 से 8 तक के समस्त बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु कक्षा 3 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों को अनुबंध की तिथि दिनांकः 10.01.2024 से 90 दिन के अन्दर आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये गये थे। कक्षा 1 व 2 की पाठ्य पुस्तकों को अनुबंध की तिथि दिनांकः 28.05.2024 से 45 दिन के अन्दर आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये गये थे। निर्धारित तिथि से विलम्ब से आपूर्ति किये जाने पर कटौती के प्राविधान हैं।

विद्यालयों से वितरण के सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी, परन्तु शासन के निर्देशानुपालन में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, समयबद्ध रूप से करने तथा जनपद स्तर, ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर तथा विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का विलम्ब न करने, सत्यापन एवं ढुलाई की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब कदापि न करने हेतु निर्देश दिये गये थे, ताकि जनपद स्तर पर आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात शीघ्रताशीघ्र विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों वितरित करायी जा सकें।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।